तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम तारीख हुक्म में ...
21.10.2021 2021/183	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्रा०पं० तुम्बडिया पर आयोजित शिविर में निस्तारण हेतु लायी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 15/9/2021 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 CPC प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली है, रेकार्ड पर लिया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र से निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 जगन्नाथ व केला के पिता का नाम भूलवश भूरा अंकित कर दिया गया है मगर वास्तविक नाम उदा है। अतः विपक्षी 1 व 2 के पिता का नाम भूरा के बजाय उदा अंकित कराये जाने का आदेश फरमावें। पत्रावली में संलग्न विपक्षी 1 व 2 जगन्नाथ व केला के नोटिस की बाद तामील प्रति पर तामील कुनिन्दा ने भी अपनी रिपोर्ट में जगन्नाथ व केला के पिता का नाम भूरा के बजाय उदा होना अंकित किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 CPC स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के अनुसार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 जगन्नाथ तथा केला के पिता का नाम भूरा के बजाय उदा अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी ग्राम रोजड़ा प०ह० तुम्बडिया स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 161 रकबा 0.93 हे०, 163/1 रकबा 0[illegible], 160/1 रक[illegible] 159/1 रकबा 0.64 कीता [illegible] की पत्थरगढी कराना चाहता है। [illegible] संलग्न ग्राम रोजड़ा की [illegible] 2067-2070 अनुसार उक्त आराजीयात प्रार्थी x.... लगातार (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.26 18:40:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाकर ग्राम रोजडा प०ह० कुम्हारिया स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 161, 163/1, 160/1, 159/1 कित्ता 5 कुल रकबा 2.25 हे० भूमि को बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। कमिश्नर शुल्क 1500.00 रुपए अक्षरे एक हजार पाँच सौ रुपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	(श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.26 18:40:01 IST
Reason: SelfAttested